संचिका सं0–7/बजट–46–28/2021 –102(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक–05/03/2026

विषयः– लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 2,15,00,00,000/–(दो अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृत योजना के लिए राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2025–26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 under Part-I" अन्तर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध राशि रु0 12,33,00,000/–(रुपये बारह करोड़ तेतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु विभागीय पत्रांक–1192(10), दिनांक–06.03.2019 से कुल रु० 2,15,00,00,000/– (रुपये दो अरब पन्द्रह करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

2– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0 एव दिनांक
1	2018–19	44,70,000/–	सं0–43(10), दिनांक–11.03.2019
2	2022–23	20,00,00,000/–	सं0–207(7), दिनांक–21.09.2022
3	2023–24	22,00,00,000/–	सं0–483(7), दिनांक–16.02.2024
4	2024–25	10.00,00,000/–	सं0–573(7), दिनांक–24 03.2025
5	2025–26	30,00,00,000/–	सं0–92(7), दिनांक–19.06.2025
6	2025–26	57,67,00,000/–	सं0–481(7), दिनांक–29.12.2025
कुल योग–		**1,40,11,70,000/–**	

3– उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक–F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar, दिनांक–22.07.2025, एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एवं वित्त विभाग के पत्रांक–580/वि0 दिनांक–30.07 2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 under Part-I " राशि रू० 100.00 करोड की राशि इस परियोजना हेतु स्वीकृत की गयी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–481(7), दिनांक–29.12.2025 द्वारा उक्त स्वीकृत राशि रू० 100 00 करोड के विरूद्ध 57.67 करोड़ मात्र की स्वीकृति दी जा चुकी है।

4– पुनः भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक–F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-78, दिनांक–31.12.2025 एवं वित्त विभाग के पत्रांक–1049/वि०, दिनांक–31 12.2025 द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 under Part-I " अन्तर्गत द्वितीय किस्त के रूप में राशि विमुक्त की गयी है।

5– उक्त परिप्रेक्ष्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 2,15,00,00,000/–(दो अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृत योजना के लिए राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2025–26 मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 under Part-I" अन्तर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध राशि रु0 12,33,00,000/–(रुपये बारह करोड़ तेतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–1192(10) दिनांक–06.03.2019 में निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

7– इस कार्य हेतु मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0104–शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210010510104, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत बजट उपबंध/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

8– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एव नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05 2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत संबंधित ledger ID मे जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

11– वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनांक–29.03.2023 एव पत्रांक–1049/वि०, दिनाक–31.12.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13– प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–7/बजट–46–28/2021 के पृष्ठ–38/टि0 पर प्राप्त है।

15– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/3/26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांकः– 102 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक– 05 / 03 /2026

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/3/26

सरकार के अपर सचिव ।